

दिनांक	आज्ञा पत्र	कांफर्स
28.9.17	<p>पत्रावली पेश। प्रकरण में विचारण न्यायालय का रिकार्ड अप्राप्त है। विचारण न्यायालय से विशेष वाहक के माध्यम से रिकार्ड तलब किया जावे। ताकि अपील का शीघ्रतिशीघ्र निस्तारण किया जा सके। पत्रावली वाले तलबी रिकार्ड दिनांक.....10.7.17.....को पेश हो।</p>	
10.7.17	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रैस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....10.7.17 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक: 2.7.17 को पेश हो।</p>	
12.7.17	<p>पत्रावली पेश। अपीलांट/रैस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है।। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरजीब तकमील दाखिल इफतर हो।</p>	
26-7-17	<p>उक्त प्रकरण में अख्तियार दिनांक 12-7-17 को पत्रावली पेश करके अपीलकर्ता ने अपील रिकार्ड में अतिरिक्त प्रमाण पेश किया है। अपीलकर्ता का कहना है कि प्रमाण पत्रों में अतिरिक्त प्रमाण पेश किया है जो अपील रिकार्ड में अतिरिक्त प्रमाण पेश किया है। अपीलकर्ता का कहना है कि प्रमाण पत्रों में अतिरिक्त प्रमाण पेश किया है जो अपील रिकार्ड में अतिरिक्त प्रमाण पेश किया है। अपीलकर्ता का कहना है कि प्रमाण पत्रों में अतिरिक्त प्रमाण पेश किया है जो अपील रिकार्ड में अतिरिक्त प्रमाण पेश किया है।</p>	



श्री-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प इन्डान)